16.04.2025 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता अपीलार्थी श्री-1
मूल वाद निर्णीत हो गया है इसलिए
212 RTA की पत्रावली में पारित आदेश
के विरुद्ध अपील चलने योग्य नहीं है
लिहाजा अपील इसी स्टेज पर खारिज
की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार नंबर
के कम होकर बाद तामील तकमील
दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया
गया।

16/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर